फाईल संख्याः S-11045/40/2012/केसस्वायो/एच.ई.सी./केसस्वायो/(पी)

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनाँकः 22 फरवरी, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषयः **केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत नामिकागत निजी अस्पतालों/रोगों निदान प्रयोगशालाओं/इमेजिंग केन्द्रों में टैस्ट कराने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय के दिनाँक 1 जनवरी 2013 के समसंख्यक ज्ञापन, के पैरा नं. 3 के अनुसार समस्त सेवारत कर्मचारी/के.स.स्वा.यो. के लाभार्थी अपने कार्यालयों से, रोग निदान टैस्ट/जाँच पर किए गए खर्च के दावों की प्रतिपूर्ति के समय, चिकित्सा पर्ची मूल रूप में संलग्न करेंगे, के संदर्भ में, एवं सेवारत कर्मचारियों/लाभार्थियों को होने वाली असुविधाओं को कम करने के प्रयोजन से अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अब से के.स.स्वा.यो. के लाभार्थियों को केसस्वायो के चिकित्सकों/सरकारी विशेषज्ञों द्वारा जारी विशिष्ट टैस्ट कराने की वैध नुस्खा पर्ची पर बिना किसी अनुमति पत्र के केसस्वायो के नामिकागत निजी अस्पतालों/रोग निदान प्रयोगशालाओं/इमैजिंग केन्द्रों पर जाँच के दौरान होने वाले खर्च के **दावों की प्रतिपूर्ति के समय स्वयं सत्यापित चिकित्सा पर्ची की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की अनुमति होगी।**

सेवारत कर्मचारी अब अपने विभाग से बिना अनुमति पत्र के के.स.स्वा.यो. के नामिकागत निजी अस्पतालों/रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं/इमैजिंग केन्द्रों पर जाँच/टैस्ट की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा केवल उन्हीं टैस्ट/जाँच के लिए लागू होगी जिनके लिए के.स.स्वा.यो. की दरें उपलब्ध हैं। सेवारत कर्मचारी भुगतान करने पर टैस्ट/जाँच करवा सकते है, तत्पश्चात् अपने कार्यालय से प्रतिपूर्ति/भुगतान प्राप्त कर सकते है। तथापि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनाँक 10-06-2008 के का.ज्ञा. सं. Rec 1-2008/शि./केसस्वायो/दिल्ली/केसस्वायो(पी) के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सेवारत कर्मचारी केसस्वायो के नामिकागत निजी अस्पतालों/रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं/इमैजिंग केन्द्रों में जाँच/टैस्ट के लिए क्रैडिट सुविधा के पात्र है।

केसस्वायो के चिकित्सा अधिकारी/सरकारी विशेषज्ञ द्वारा जारी की गई निर्धारित नैदानिक जाँच/टैस्ट की चिकित्सा पर्ची विशेषज्ञ द्वारी जारी किए जाने के दो सप्ताह की अवधि तक वैध

रहेगी। तथापि रोग नैदानिक टैस्ट/जाँच की ऐसी नुस्खा पर्चियाँ दो सप्ताह की निर्धारित अवधि के पश्चात् भी वैध रहेंगी जिनमें केसस्वायो के चिकित्सक/सरकारी विशेषज्ञ ने नेमी जाँच/रूटीन टैस्ट या अनुवर्ती चिकित्सा (फालो-अप-ट्रीटमैन्ट) के लिए तिथि या अवधि विनिर्दिष्ट की है।

केसस्वायो के चिकित्सकों/सरकारी विशेषज्ञों द्वारा जारी की गई जाँच/टैस्ट की नुस्खा पर्चियों की, दो सप्ताह के पश्चात वैध तिथि समाप्त होने पर पुनः केसस्वायो के चिकित्सक/सरकारी विशेषज्ञों से यथा स्थिति चिकित्सा पर्ची/ जाँच पर्ची का पुनः वैधीकरण करवाना होगा या नई पर्ची जारी करनी होगी।

(वी.पी.सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार
टैलीफेक्स 011-23061831

सेवा में,

(1) भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
(2) निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, निर्माण भवन, नई दिल्ली। दिल्ली से बाहर स्थित केसस्वायो के शहरों के लिए।
(3) अपर उप महानिदेशक (मुख्यालय)/सभी अपर निदेशक संयुक्त निदेशक।
(4) केसस्वायो के अधीन सभी भुगतान एवं लेखा अधिकारी।
(5) अपर निदेशक (मु.)/अपर निदेशक - दक्षिण अंचल/केन्द्रीय अंचल/पूर्वी अचंल/उत्तरी अंचल, केसस्वायो नई दिल्ली।
(6) संयुक्त निदेशक (शिकायत)/संयुक्त निदेशक (प्रतिपूर्ति एवं अस्पताल), केसस्वायो दिल्ली।
(7) केसस्वायो डेस्क I/डेस्क II/केसस्वायो I/केसस्वायो II, केसस्वायो महानिदेशख, निर्माण भवन भवन, नई दिल्ली।
(8) स्थापना I/स्थापना II/स्थापना III/स्थापना IV/अनुभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
(9) स्थापना सेवा महानिदेशालय के प्रशासन I/प्रशासन II
(10) राज्यसभा/लोकसभा सचिवालय।
(11) रजिस्ट्रार, भारत का सर्वोच्च न्यायालय।
(12) संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली।
(13) एकीकृत वित्त प्रभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
(14) उपसचिव (सिविल सर्विस न्यूज), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, पाँचवा तल, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली।